रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 1969/ज्यैष्ठ 5, 1891
No. 195] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 1969/JYAISTHA 5, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप मे रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Deptt. of Internal Trade)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th May 1969

S.O. 2136.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of section 18 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 245, dated the 25th January, 1955.

[No. 12(2)-CG/68-I.T.-I.]

S.O. 2137.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 247, dated the 25th January, 1955, namely :—

In the said notification, the entry "(3) sesamum seed (Til or Jinjilli)" shall be omitted.

[No. 12(2)-CG/68-I.T.-II.]

S.O. 2138.—In exercise of the Powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O 246, dated the 25th January, 1955, namely :—

In the said notification, the entry "(iii) Sesamum seed (Til or Jinjilli)" shall be omitted.

[No. 12(2)-CG/68-I.T.-III.]

G. P. PANDEY, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 26 मई 1969

एस० ओ० 2139.—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 18 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 245, तारीख 25 जनवरी, 1955 को एतद्द्वारा खण्डित करती है ।

[सं० 12(2)—सी० जी०/68-आई० टी०—I.]

एस० ओ० 2140.—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 247, तारीख 25 जनवरी, 1955 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्ट "3. तिल या जिंजली" लुप्त कर दी जाएगी ।

[सं० 12(2)—सी० जी०/68-आई० टी०—II.]

एस० ओ० 2141.—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 18 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 246, तारीख 25 जनवरी, 1955 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि "3. तिल या जिंजली" लुप्त कर दी जायेगी ।

[सं० 12(2)—सी० जी०/68-आई० टी०—III.]

गिरिजा प्रसाद पाण्डे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969